भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1264
09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

बठिंडा छावनी

1264. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आरएससी 4 बठिंडा छावनी के दुकानदारों की उस याचिका की जानकारी है जिसमें सैकड़ों दुकानदारों को सरकार के आह्वान पर उन्हें बहुत पहले आवंटित की गई दुकानों को खाली करने और लंबे समय से चल रहे अपने व्यवसायों को बंद करने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का खाली की गई इन दुकानों को युद्ध विधवाओं / निःशक्त सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का छावनी से वर्तमान व्यापारियों को हटाने के स्थान पर इन श्रेणियों को नई दुकानें आवंटित करने का विचार है क्योंकि इसके पास इन दुकानों के आस-पास कई एकड़ खाली भूमि है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का स्थापित दुकानदारों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और अनुकूल निर्णय लेने का विचार है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): रेजिमेंटल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, बठिंडा के दुकानदारों से दुकानों के रिक्त स्वामित्व को सौंपे जाने के लिए उनको जारी किए गए वेकेशन आदेश/ नोटिस को रद्द किए

जाने के अनुरोध से संबंधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । प्रारंभ में ये दुकानें 11 माह की अवधि के लिए वर्ष 1989 में आवंटित की गई थी और इसके बाद यह समय-अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी ।

रक्षा मंत्रालय की दिनांक 17.01.2018 की नीति के अनुसार रेजिमेंटल दुकानों का आवंटन युद्ध विधवाओं / सेवा में रहते हुए दिवंगत रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/नि:शक्त सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों / और भूतूपूर्व सैनिकों के पति-पत्नी/विधवाओं इत्यादि को 05 वर्ष की अवधि के लिए (03 वर्ष के कूलिंग ऑफ/ब्रेक पीरियड के साथ) आवंटित करने के लिए 100% आरक्षण है । तदनुसार, बठिंडा की रेजिमेंटल दुकानों की वर्ष 2021 में नीलामी की गई थी और उसी नीति की शर्तों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों / युद्ध विधवाओं को आवंटित की गई थी ।

(ग): रक्षा भूमि, जो खाली या अनुपयोगी प्रतीत होती है, वास्तव में प्रशिक्षण और भावी अवसंरचना विकास के लिए है । बठिंडा का शॉपिंग काम्प्लेक्स आवास के प्राधिकृत स्केल के अनुरूप है और इसका स्थान भी मिलिट्री स्टेशन की अनुमोदित जोनल योजना के अनुसार है ।

(घ) और (ड.): कुछ दुकानदारों ने दुकानों के रिक्त स्वामित्व को सौंपे जाने के लिए उनको जारी किए गए वेकेशन आदेश / नोटिस को रद्द करने हेतु चंड़ीगढ़ में पंजाब व हरियाणा के माननीय न्यायालय में याचिका दायर की है । याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय से दुकानों को रिक्त करने के लिए समय की मांग की है और न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा रिक्त दुकानों का स्वामित्व दिनांक 01.04.2024 को या उससे पहले सौंप दिया जाएगा । उनके अनुरोध के आधार पर, माननीय न्यायालय ने दिनांक 23.08.2023 के अपने आदेश के द्वारा यह निदेश दिया है कि रिक्त दुकानों को दिनांक 01.04.2024 को या उससे पहले सौंप दिया जाए ।

****